



राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक: / 2012

प्रस्तुती दिनांक: 09.2012

C.F. 11-10-12

Noted
11/10/12
v.v.

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, ग्वालियर, कैम्प इन्दौर के समक्ष

R. 3399-PB/12

1. लीमसिंह पिता ढुडिया, जाति - भील,
 2. काल्या पिता ढुडिया, जाति - भील,
- दोनो निवासी - ग्राम - थुवाटी, जिला - धार (म.प्र.) — पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

डोंगरसिंह पिता कलसिंह,

जति - भील, निवासी - थुवाटी, जिला - धार (म.प्र.) — प्रत्यर्थी

पुनरीक्षण आवेदन पत्र धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील कुशी, जिला धार के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक-02/अ-70/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2012 के द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 250 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम आवेदन को स्वीकार किया गया है, जिसके द्वारा अंतरिम आदेश में अंतिम सहायता अर्थात भूमि का कब्जा दिलाया गया है, से व्यथित होकर, उक्त आदेश के विरुद्ध सादर प्रस्तुत है।

श्री विजय नाथपाल
जमिनाधिकारी द्वारा
आज दिनांक 25-9-12
को इन्दौर कैम्प पर
प्रस्तुत।

G.M.P.
25-9-12

R 3399-P/112 धार

22-8-2017

उभय पक्ष की और से कोई
उपायित नहीं। यह निगानी तहसीलदार
के अंतिम आदेश दिनांक 18.7.2012
के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। तहसीलदारी
द्वारा दिनांक 26.9.2012 को अंतिम
आदेश पारित किया जा चुका है।
अतः यह निगानी निरर्थक होने
से निरस्त की जाती है।

V.M
22/8/17

[Signature]

[Signature]
अध्याक्ष